न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 181/2018/(2018/00181) जिला–नागौर

मूर्ति चारभुजा मंदिर वाके मेड़ता शास्वत अव्यस्क जरिये पुजारी त्रिलोकीनाथ पुत्र श्री सामरीमल जाति ब्रहम्ण (सेवग) निवासी मेड़ता शहर तहसील मेड़ता जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. हापूराम पुत्र श्री उगमाराम जाति जाट निवासी मोरश तहसील मेड़ता जिला नागौर के कायममुकाम–
   1/1 धनाराम पुत्र श्री हापूराम जाति जाट
   1/2 रामी देवी पत्नी श्री हापूराम जाति जाट
   निवासीगण मोरश तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. तहसीलदार मेड़ता जिला नागौर।
3. पटवारी हलका मोरश

––––प्रत्यर्थी

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता
दिनांक 04–09–2012 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 288/2012
बउनवान हापूराम बनाम सरकार

––––

उपस्थित– 1. श्री त्रिलोकीनाथ अपीलार्थी स्वयं
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 15.04.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेडता के समक्ष अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रत्यर्थी संख्या 1 हापूराम के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 को स्वीकार कर ग्राम मोरश की राजस्व सीमा के खेत खसरा नम्बर 422 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर [illegible]06/732 रकबा 0.70 हैक्टर बा–1 प्रत्यर्थी संख्या 1 हापूराम के नाम दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण के आदेश उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा प्रदान कर दिये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:30 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। अपीलार्थी स्वयं एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थी स्वयं द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में पक्षकार नहीं था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2012 की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थी मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा मंदिर के पुजारी त्रिलोकीनाथ ने पटवारी हलका मोररा के समक्ष जाकर रेकार्ड देखा तो पता चला कि वर्तमान में मंदिर श्री चारभुजा का खेत खसरा नम्बर 1006/732 रकबा 0.70 हैक्टर की खातेदारी में नाम दर्ज नहीं है जिस पर मूर्ति श्री चारभुजा मंदिर के पुजारी ने पटवारी हलका के पास नामान्तरकरण के आधार पर पता किया तब पता चला कि उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के आदेश से प्रत्यर्थी हापूराम के नाम से खातेदारी दर्ज हुई है जिस पर मूर्ति श्री चारभुजा मंदिर के पुजारी त्रिलोकीनाथ ने अधीनस्थ न्यायालय में नकल हेतु दिनांक 2–8–2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया इस पर नकल दिनांक 9–8–2018 को प्राप्त होने पर दिनांक 4–9–2012 को पूर्ण जानकारी हुई इसलिए जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:12:30 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट [illegible] मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थी अभिभाषक के [illegible] इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार कर[illegible] कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत

प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के स्वयं के स्वयं के द्वारा कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 हापूराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया कि मौजा मोररा की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 422 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा की भूमि वक्त सेटलमेंट खालसा श्री दरबार की खातेदारी की थी। ग्राम मोररा खालसा में था जिसमें मंदिर श्री चारभुजा स्वयं डोलीदार थे जो स्वयं फसल काटते थे। किन्तु खसरा नम्बर 422 मंदिर श्री चारभुजा की खातेदारी अर्थात खुदकाश्त की भूमि कभी नहीं रही थी जब जागीर रिज्यूम हुई तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब वक्त सेटलमेंट मूर्ति मंदिर श्री चारभुजा का काश्त व कब्जा न होने से राजस्व रेकार्ड में गिरदावरी में तत्कालीन खातेदार का कब्जा काश्त गिरदावरी में दर्ज है। तत्कालीन खातेदार व काबिज काश्तकार का कब्जा काश्त होने से रामसिंह वल्द भगवत सिंह राजपूत के नाम से उक्त खसरा की खातेदारी का इन्द्राज हो गया। रामसिंह से प्रार्थी ने उक्त खसरा की जमीन क्रय कर ली जिसके तहत नामान्तरकरण संख्या 194 स्वीकृत हुआ और प्रार्थी के नाम से खातेदार का अमल दरामद किया गया। देवस्थान विभाग के सामूहिक आदेश जिसमें मूर्ति मंदिर की खुदकाश्त भूमि की खातेदार गलत रूप से किया। अन्य खातेदार के नाम से दर्ज हो तो पुनः मंदिर के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश थे। इस आदेश की जानकारी या तो लिपिकीय भूल से हुई है अथवा सहवन से होने से खुदकाश्त की भूमि न होते हुए भी गलत रूप से मूर्ति श्री चारभुजा के नाम खातेदार का अंकन कर दिया गया। इस प्रकार के आदेश होने से अभी राजस्व मण्डल के पुनः संशोधन करने के आदेश पारित किये गये है। खसरा नम्बर 422 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी का इन्द्राज पूर्व की भांति प्रार्थी के नाम से किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती का इन्द्रज किया जावे। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार कर विवादित आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 हापूराम के नाम से दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण के आदेश पारित कर दिये जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा के नाम से खातेदारी में ग्राम मोररा के खेत खसरा नम्बर 422 जिसके नये खसरा नम्बर 1006/732 थे परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 हापूराम ने अपने प्रार्थना पत्र में मूर्ति श्री चारभुजा को मुकदमे में पक्षकार नहीं [illegible] व खातेदार को बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय ने आ[illegible] मूर्ति श्री चारभुजा मंदिर मेड़ता जरिये पुजारी सामरीमल के नाम से खातेदारी में दर्ज था। ग्राम मोररा खालसा का गांव था। खसरा नम्बर 422 खालसा का नहीं होकर मूर्ति श्री चारभुजा मंदिर के नाम से खातेदारीशुदा था जो रजवाड़ा काल से मूर्ति श्री चारभुजा मंदिर के नाम से खातेदारी में दर्ज रही थी। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 4–9–2012

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:30 IST
Reason: SelfAttested

विधिसम्मत नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत मंदिर की मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना गया है तथा धारा 5(25) के तहत यह काश्त मूर्ति श्री चारभुजा की खुद काश्त की संज्ञा में आती है तथा जमाबंदी में खुदकाश्त दर्ज होना आवश्यक नहीं है इस हेतु न्यायिक दृष्टांत 1983 आर.आर.डी पेज 539 खूमा बनाम मंदिर पारसनाथ का निर्णय मंदिर हित में चस्पा होता है तथा यही सिद्धांत एआईआर 1968 उच्चतम न्यायालय पेज 1364 द्वारा मान्यता प्राप्त है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय स्वयं ने अपने विवेक से अव्यस्क खातेदार को पक्षकार बनाकर सुनने का अधिकार था व अव्यस्क का संरक्षक अथवा हितबद्ध पक्षकार सुनवाई के लिए नहीं आने पर अव्यस्क के हित के लिए न्यायमित्र नियुक्त कर सकते थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित नहीं किया था व अव्यस्क को पक्षकार बनाए बिना एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2012 निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 422 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा जिसके सेटलमेंट के दौरान बने नये खसरा नम्बर 1006/732 रकबा 0.70 हैक्टर की खातेदारी जो वर्तमान में प्रत्यर्थीगण संख्या 1/1 व 1/2 (प्रत्यर्थी संख्या 1 के कायम मुकाम) के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, उसको हटाकर पुनः मूर्ति श्री चारभुजा मंदिर मेड़ता जरिये पुजारी त्रिलोकीनाथ पुत्र सामरीमल जाति ब्राहम्ण निवासी मेड़ता के नाम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी स्वयं द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि दौराने भू–प्रबन्ध जमाबंदी सम्वत 2065–68 में खसरा नम्बर 1006/732 रकबा 0.70 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 422 थे की खातेदारी मंदिर बनाम श्री चारभुजा वाके मेड़ता के नाम दर्ज कर दिया जबकि खसरा नम्बर 1006/732 जमाबंदी सम्वत 2008–2027 में खालसा श्री दरबार की खातेदारी में दर्ज है। मंदिर की खुदकाश्त में दर्ज नहीं है। अतः खसरा नम्बर 422 जिसके नये खसरा नम्बर 1006/732 रकबा 0.70 हैक्टर प्रत्यर्थी की खातेदार में दर्ज होने के आधार पर ही उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा प्रत्यर्थी के नाम दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण के आदेश दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 4–9–2012 विधिसम्मत होने से अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:30 IST
Reason: SelfAttested

मैंने अपीलार्थी स्वयं एवं विद्वान राजकीय अभिभाषक की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित मिसिल का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में पुजारियों को मिली खातेदारी वाले पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन कर दिया गया है और जिन्हें पुनः खातेदारी दी जा सकती हैं इस संबंध में राज्य

सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6 / 07 / 19 जयपुर दिनांक 25–11–2011 के अनुसार अवैधानिक रूप से मंदिर माफी की भूमि पर से विधिक टिनेंट का नाम विलोपित कर दिया गया था, को धारा 136 के तहत रिकार्ड दुरूस्ती के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णित किये जाने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में प्रभावित काश्तकारों से धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विधिवत दायर कराकर रिकार्ड दुरूस्ती की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही ग्राम मोररा की राजस्व सीमा के खेत खसरा नम्बर 422 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 1006 / 732 रकबा 0.70 हैक्टर मूर्ति श्री चारभुजा मंदिर मेड़ता जरिये पुजारी सामरीमल के नाम से खातेदारी में दर्ज था। ग्राम मोररा खालसा का गांव था खसरा नम्बर 422 खालसा का नहीं होकर मूर्ति श्री चारभुजा मंदिर के नाम से खातेदारी शुदा था जो रजवाड़ा काल से मूर्ति श्री चारभुजा मंदिर के नाम से खातेदारी में दर्ज रही थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक्त खसरा नम्बरान की आराजी श्री रामसिंह से क्रय कर ली तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 194 स्वीकृत होकर प्रत्यर्थी के नाम दर्ज हो गया है। अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली में एवं इस न्यायालय की पत्रावली में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जमीन क्रय करने संबंधी कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित आराजी प्रत्यर्थी के नाम है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 46 के अन्तर्गत मंदिर की मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना गया है तथा धारा 5(25) के तहत यह भूमि मूर्ति श्री चारभुजा की खुद काश्त की श्रेणी में आती है तथा जमाबंदी में खुदकाश्त दर्ज होना आवश्यक नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भू–प्रबन्ध विभाग को भू–संशोधन के दौरान पूर्व के खसरा नम्बरान को पूर्व की भांति इन्द्राज करना होता है। जब भूमि मूर्ति चारभुजा मंदिर वाके शाश्वत अव्यस्क के नाम थी तो भू–प्रबन्ध विभाग को बिना सक्षम स्वीकृति आदेश के खातेदारी परिवर्तन के अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा तहसीलदार, मेड़ता की रिपोर्ट को आधार मानकर प्रत्यर्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण के आदेश प्रदान किये है जबकि विवादित आराजियात बाबत कब्जे की जांच की करवायी जानी अपेक्षित थी। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–09–2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है, लिहाजा अपीलार्थी की अपील न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:30 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–09–2012 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 288 / 2012 बउनवान हापूराम बनाम सरकार निरस्त किया जाता है और तहसीलदार, मेड़ता को आदेशित किया जाता है कि वे प्रत्यर्थीगण संख्या 1 / 1 व

1/2 (प्रत्यर्थी संख्या 1 स्व0 श्री हापूराम पुत्र उगमा राम के कायम मुकाम) के नाम पुराना खेत खसरा नम्बर 422 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 1006/732 रकबा 0.70 की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई थी को विलोपित कर पुनः मूर्ति श्री चारभुजा मंदिर मेड़ता जरिये पुजारी त्रिलोकी नाथ पुत्र सामरीमल जाति ब्राहम्ण निवासी मेड़ता के नाम दर्ज की जावे। निर्णय की पालना से तीन माह में अवगत करावे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:30 IST
Reason: SelfAttested